



स्त्री- विमर्श

दलित और आदिवासी स्त्री उत्थान

डॉ. अजय कुमार सिंह,
महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय
चन्दरपुर, लक्ष्मीगंज, कुशीनगर उत्तर प्रदेश

परिचय—

भारतीय संविधान में जनजाति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के आधार पर 'अनुसूचित जनजाति' शब्द का निर्धारण किया जाता है, आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी। संस्कृत साहित्य में इन्हें 'अताविक' यानि वनवासी या गिरिजन कहा गया है। यह पूरे भारत वर्ष के सौभाग्य की बात है कि जहां वर्तमान समय में भी भारतीय संस्कृति अपना महत्व पश्चिमी संस्कृति में खोजी जा रही है वही दूसरी तरफ आदिवासी समाज अपने अस्तित्व एवं संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति के इतने प्रचार-प्रसार के बाद भी बचाए हुए है। भारतीय संविधान ने ऐसे दो वर्गों की पहचान की है जो ऐतिहासिक रूप से असमानता के सर्वाधिक शिकार बने—ये दोनों वर्ग थे दलित और आदिवासी। सहभागिता मूलक लोकतंत्र, समतापरक समाज, आर्थिक प्रगति और स्वतंत्रता पर जारी बहस में आदिवासियों के मुद्दों का विस्तार हुआ है जो विकास के कारण मिलने वाले लाभों में अपेक्षाकृत पीछे छूट गए हैं।

जनजातियों का निर्धारण—

भारतीय संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची के अनुसार आदिवासियों का निर्धारण निम्नलिखित आधारों पर किया जाना चाहिए—

1. आदिवासियों की उत्पत्ति, आदिवासी समुदाय द्वारा हुई हो।
2. भौगोलिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में इनका स्वास्थ्य हो।
3. जीवन आदिम विशेषताओं से परिपूर्ण हो।





4. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ी हो।

भौगोलिक परिदृश्य—

भारत वर्ष की 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय लोगों की आबादी कुल जनसंख्या का 8.3 प्रतिशत है। जनजातियों की अवस्थिति उत्तर में जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड से लेकर हिमालय पट्टी में केन्द्रित है तथा पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं नागालैण्ड तक जनजातीय क्षेत्र फैले हुए हैं। इसके अलावा, जनजातीय क्षेत्रों का विस्तार मध्य भारत में झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण-पूर्व में गोदावरी नदी के बीच पड़ने वाले क्षेत्रों तथा इन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की तराई तक है। जबकि दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल, पश्चिम भारत के गुजरात एवं राजस्थान राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जनजाति के लोगों की संख्या कम है।

जनजातियों की समस्याएं—

एनडी0 मजूमदार और मदन का मानना है कि "भारतीय आदिवासी महिलाओं की अधिकांश समस्याएं उनके भौगोलिक और नए सांस्कृतिक सम्पर्क का परिणाम है।" आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या निर्धनता है, और दूसरी समस्या ऋणग्रस्तता है जिसके कारण आदिवासियों का समाज लगातार विघटन के कगार पर है क्योंकि गरीबी के कारण उचित मात्रा में भोजन की कमी अनेक रोगों को जन्म देता है, जनजातीय समाज अनेक सांस्कृतिक समस्याओं से भी ग्रस्त है जैसे—सांस्कृतिक विघटन की समस्या, भाषा की समस्या, अभियोजन अनुकूलन की समस्या, अभियोजन अनुकूलन की समस्या, और लोक कलाओं के पतन से भी जनजातीय सभ्यता और संस्कृति विनाश के कगार पर है। जनजातियों में प्रमुखतः 5 प्रकार की समस्याएं देखी गईं।

क्र०सं०	समस्याएं	कारक
1.	वातावरणीय समस्या	एकांगी जीवन
2.	आर्थिक समस्या	गरीबी, ऋणग्रस्तता



3. सांस्कृतिक समस्या पारम्परिक जीवन
4. मनोवैज्ञानिक समस्या शोषण के शिकार
5. जनजाति और गैर जनजाति क्षेत्रवाद, अलगाववाद
के मध्य बढ़ता तनाव

नेहरू दृष्टिकोण से आदिवासियों के विकास में मूलरूप से दो मानदण्ड निहित थे—जनजातीय क्षेत्रों का विकास होना चाहिए और उन्हें अपने रास्ते से विकास करना चाहिए। तरक्की का मतलब 'भारत के दूसरे हिस्सों का महज नकल करना नहीं था जो शेष भारत के लिए अच्छा था वह धीरे-धीरे उन लोगों भी अपना लिया जाएगा।

—नेहरू, स्पीचेज, जिल्द , पृ0 582

आदिवासियों का रहन-सहन, उनका नृत्य-संगीत उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनका अर्थतंत्र, उनकी संस्कृति सब कुछ प्रकृति के साथ सामंजस्य और तालमेल से संचालित होता है। यद्यपि वह साक्षर नहीं है। परन्तु वनों से अपनी जीविका के साधनों को ढूँढ निकालना वास्तव में एक वैज्ञानिक सोच है, बिना वजह जंगलों को नुकसान नहीं पहुँचाना उसमें संचय की प्रवृत्ति नहीं होती, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे नजरों में वे गरीब, असहाय, जंगली और असभ्य है परन्तु सभ्यता क्या है, इसे बताना मुश्किल है। जनजाति बहुल समाज में नारी एक वस्तु के रूप में देखी जा सकती है। किन्तु बदलती सामाजिक गतकी का यह पूरा यथार्थ नहीं है। यहां भी नारी अब प्रतिकार भावना से रूढ़ीवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध कर रही है। हालांकि तंगहाल कृषक परिवार का फसल अच्छी न होने पर बाहर पलायन करना स्त्रियों को शोषण या अत्याचार के लिहाज से असुरक्षित बनाता है। स्त्रियों की अस्मिता को अंत में रूपये के लेन-देन से जोड़कर मामले को 'निपटा' देना स्त्रियों का शोषण है जिसे जनजातियां स्वयं के नियम के अन्तर्गत उचित मानकार करती आई है।

वर्तमान समय में भारत में हुए नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण आदिवासी समाज सामाजिक समस्याओं से जूट रहा है—इनमें शामिल है—पारिवारिक विघटन की समस्या, बाल विवाह, नैतिक पतन, गंदगी





की समस्या, अंध विश्वास, शिक्षा के प्रति कम रुझान, पौष्टिक आहार की समस्या, मद्यपान की प्रवृत्ति, स्त्रियों की स्थिति में हास, युवा गृह संस्था के महत्व में कमी प्रमुख है।

जनजातीय समाज का विकास:-

लेकिन स्वतंत्रता के बाद जनजातियों के सर्वांगीण विकास की ओर पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया हालांकि संविधान में इनके लिए अनेक सुरक्षात्मक उपाय भी किए गए थे। इन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करते हुए देश की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रमुख जनजातीय समूहों को उनकी स्थिति के तहत राज्यवार अनुसूचित घोषित किया गया जिन्हें अंततः अनुसूचित जनजाति कहा जाने लगा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने जनजातीय विकास के लिए एक पांच सूत्री कार्यक्रम का विकास किया था जिसे 'जनजातीय पंचशील' का नाम दिया गया। जनजातीय पंचशील में प्रमुखतः तत्वों के आधार पर जनजातियों के विकास की रूपरेखा 1956 में बनाई गई, ये पंचशील निम्नलिखित है-

1. जनजातियों को उनके अपने ही परिवेश में विकसित किया जाए।
2. आदिवासियों का भूमियों और वनों पर अधिकार उचित है।
3. आदिवासियों की प्रशासन और विकास उन्हीं लोगों के नेतृत्व द्वारा विकसित करना।
4. जनजातियों की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को विशेष ध्यान में रखते हुए विकास कार्य करना।
5. आदिवासी क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्य का मूल्यांकन का आधार मानवीय पूंजी और चरित्र के आधार पर हो; व्यय और उत्पादन के आंकड़े पर नहीं।

जवाहर लाल नेहरू का उपरोक्त पंचशील (जनजातीय) वेरियर एल्विन की सिद्धान्त की पुष्टि करता है कि आदिवासियों का विकास उनकी अपनी प्रकृति की सीमाओं में ही सम्भव है। साथ ही जनजातियों की विशिष्टता को नष्ट होन से बचाते हुए उन्हें राष्ट्र की मुख्य विकास धारा से जोड़ा जाए।

जनजातीय विकास

विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकासखण्ड योजना — 1955





जनजातीय विकासखण्ड, (वेरियर एल्विन)	– तृतीय योजना
यू0एन0 डेवर आयोग	– 1960
एल0पी0विद्यार्थी आयोग	
शीलू आओ समिति	– 1975
मण्डल कमीशन	– 1979
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संगठन	– 1987
जनजातीय कार्य मंत्रालय	– 1999

जनजातीय समुदायों पर राष्ट्रीय नीति 2006:–

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार इस जनजातीय समुदायों पर राष्ट्रीय नीति 2006 तरह की नीति का प्रारूप 21 जुलाई 2006 को जारी किया गया। इस नीति के ड्राफ्ट पेपर में कहा गया है कि पूरे भारत वर्ष में 698 जनजातियाँ पाई जाती है जिसकी जनसंख्या 2001 के आँकड़े के अनुसार 6.78 करोड़ यानि (8.03%)।

मुख्य बातें–

1. जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक व समग्र विकास करना। इनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं प्रशासनिक प्रयास शामिल है।
2. जनजातीय लोगों की भूमि का गैर जनजातीय लोगों के स्थानान्तरण पर रोक।
3. बदलती परिस्थितियों में जनजातीय क्षेत्रों की भाषाएं विलुप्त हो रही है अतः इनको लोकगीत : संगीत एवं लोक संस्कृति को बचाने के लिए जनजातीय भाषाओं का संरक्षण और प्रलेखीकरण करना।
4. जनजातीय लोगों की बौद्धिक सम्पदा का वैधानिक एवं संस्थागत प्रयासों से संरक्षण करना।





5. जनजातियों को सहजीवि सम्बन्धों (वन+आदिवासी) को देखते हुए उनके क्षेत्रों में बैंक, स्कूल, अस्पताल, राशन दुकान, अनाज बैंक, विद्युत तथा अन्य संस्थागत लाभ को उपलब्ध कराना।
 6. पेयजल, स्वच्छता, निर्धनता, जागरूकता, कुपोषण तथा अन्य रोगों के प्रसार को देखते हुए एलोपैथ पद्धति के साथ इनकी परम्परागत उपचार पद्धति का मानकीकरण करना।
 7. जनजातिय लोगों में शिक्षा, परम्परागत ज्ञान एवं कौशल को संरक्षित व संवर्धित करना।
 8. विस्थापन की समस्या का समाधान एकीकृत रूप से करना।
 9. आदिवासी परिवेश, इनकी समस्याओं एवं विकास के सन्दर्भ में शोध कार्य को बढ़ाना।
- वर्ष 2007 के बाद इस नीति को कार्यरूप में लाने से आदिवासी कल्याण के प्रयासों में तेजी आई है।

दलित व आदिवासी स्त्रियों का विकास:-

महात्मा गाँधी का कहना है कि ग्रामीण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। जनजातीय महिलाओं की भूमिका जनजातीय अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय भूमिका निभाती है। जनजातीय तथा दलित महिलाएं, जलाऊ लकड़ी, लघु वनोपजों के संग्रहण के साथ-साथ कृषि कार्यों में भी पुरुषों का सथ देती है। साथ ही साथ वनोत्पाद से वस्तुएँ निर्मित कर बाजार में उनका विक्रय भी करती है। आज भारतीय महिलाओं ने विश्व स्तर पर लगभग स्वयं को सभी क्षेत्रों में खुद को स्थापित किया है। किन्तु यदि दलित व जनजातीय समाज में महिलाओं की बात करें तो वे आज के प्रतिस्पर्धात्मक समाज की खुली दौड़ में काफी पीछे हैं। यद्यपि कुछ जनजातियों में आज भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा काफी अच्छी है। जैसे-खपासी, गारों, लक्षद्वीप, नायर आदि। इन आदिवासी समाज में सत्ता महिलाओं के हाथ में होती है, यानि वंश परम्परा, रहने का स्थान, सम्पत्ति आदि का निर्धारण मातृपक्ष से होता है।

अगर 60 साल के ऐतिहासिक यात्रा को देखा जाए तो इन्हीं दलित व आदिवासियों ने सबसे कम पाया और सबसे अधिक खोया है। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और प्रतिष्ठित नौकरियों तक इनकी पहुँच दलितों की तुलना में कम ही रही। नगरीय उत्पादकों और उपभोक्ता के हित में बांधों, फैक्ट्रियों और खनन परियोजनाओं के लिए आदिवासियों को उनके घरों और जंगलों से निकाला गया। उनके शोषण और बेदखली का काम जारी रहा, जिसकी प्रतिक्रिया में विद्रोह और अव्यवस्था का नया दौर शुरू हुआ।





जनजातियों की अपनी विशिष्ट पहचान है। आज अधिकतर जनजातियां विकास से कोसों दूर है। विशेष रूप से कई आदिम जनजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। इस समय सरकार के समक्ष एक तरफ तो जनजातियों के विकास का सवाल है तो दूसरी तरफ उनकी सांस्कृतिक और परम्परा को बनाए रखने की चुनौती है। दलित और आदिवासी महिलाओं तक योजनाएं पहुंचाने तथा क्रियान्वयन करवाने में सरकारी अधिकारी/कर्मचारी भी महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है और इनको बिना पूर्वाग्रह के उनके उत्थान में यथासम्भव प्रयास करने चाहिए तथा सहयोगपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए।

तमाम योजनाओं के बावजूद दलित व जनजाति महिलाओं की स्थिति में पहले की तुलना में केवल नाममात्र का मात्रात्मक परिवर्तन ही आया है जबकि गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए था। यदि समस्याओं के मूल स्थान पर जाये तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते है। जैसे कि महिलाओं में अशिक्षा, रूढ़िवादिता, प्राचीन परम्परा आदि के चलते खुद ही इन्हें अपने अधिकारों का पता नहीं है। आखिर इन्हें कैसे पता लगे कि इनका बाल विवाह नहीं किया जा सकता। इन्हें किसी के सामने अनैतिक कार्यों के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए या बेचा खरीदा नहीं जाना चाहिए। राजसत्ता की भेदन क्षमता, पंचायती राज और समाज के हाशिए के लोगों तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने को लेकर जारी कोशिशों के बीच महिला की स्थिति सोचने-समझने का एक अति गम्भीर विषय है।

राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों, बदहालों, नौनिहालों, ग्रामीण क्षेत्रों या आधी दुनिया की सापेक्ष वंचना देखी जा सकती है। पर्यावरण और विकास के मानवीय सम्बन्धों को रेखांकित किया जाना अभी बाकी है, जंगलों या बांधों की वजह से विस्थापितों और वनवासियों को मुख्यधारा में लाना बहुत जरूरी है और आदिवासियों या महिलाओं के समुचित अधिकारों की पहचान सुनिश्चित करना भी अभी बाकी है। दलित आदिवासी महिलाओं की गौण स्थिति के अनेक कारण है। जैसे-बहुपत्नी प्रथा, अज्ञानता या घरेलू दायित्वों में रमे रहने के कारण अपनी स्थिति के प्रति अनभिज्ञता। हालांकि आदिवासी परिवार स्त्रियों को आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि महिलाएं खेती-किसानी या मेहनत मजदूरी करके आय अर्जित करती है। लिंगानुपात, साक्षरता या जनसंख्या के अलावा कुछ दूसरी जनांकिकीय सारणियां भी जैसे-विवाह के समय आयु वितरण, प्रथम सन्तान के समय महिला की उम्र या व्यवसाय के अनुसार आबादी का अध्ययन भी महिलाओं की गौण स्थिति के प्रमुख कारण है। जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है कि 'वहां जनजातीय क्षेत्रों में पहली समस्या उनमें (जनजातीय लोगों में) आत्मविश्वास का संचार करना ताकि उन्हें पूरे भारत के साथ एक होने का अहसास देना है, उन्हें यह महसूस करवाना है कि वे भारत के अंग है और यहां उनका एक सम्मानित स्थान है।





डॉ० ब्रह्मदेव शर्मा ने 1987-89 में लिखा कि "व्यवस्था को बना रखने की चिंता और विकास की हड़बड़ी और उसकी चकाचौंध में गरीबों, खास तौर से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण की जिम्मेदारी के अंधियारे गलियारे, अक्सर भूला दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, नीति, सिद्धान्त और कानून के साए में पुरानी और नई दोनों ही व्यवस्थाओं के निहित स्वार्थों का साथ देने और उन पर घातक प्रहार करने तक में भी संकोच नहीं होता है। कही ऐसा तो लगता है, मानों कानून, संविधान, मानवीय अधिकार और राज्य के दायित्व का वजूद ही न हो।

उपसंहार

दलित व आदिवासी महिलाओं समेत पूरी जनजातियों को आधुनिक विकास प्रक्रिया और राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केन्द्र, केन्द्र और राज्य सरकार और छण्ण्व द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ हुए पर इन कार्यक्रमों से भी आदिवासी महिलाओं और जनजातियों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है पर साथ ही कई समस्याओं का भी प्रस्फुटन हुआ है। खनन, औद्योगिक संयंत्र, बांध, सड़क द्वारा जो विकासधारा इन क्षेत्रों में चली उससे आदिवासियों की प्रकृति जीवन में अवरोध हुआ। जनजातीय लोग प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करते लेकिन विकास कार्यों के साथ बाहरी लोगों का जनजातीय क्षेत्रों में पहुचना जनजातियों के शोषण के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हुआ और इसका कुप्रभाव जनजातियों के असन्तोष के रूप में उभरा। इसी असन्तोष से अलग-अलग राज्यों के आन्दोलन, आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के हिंसक संघर्ष, उग्रवाद, नक्सलवाद की अभिव्यक्ति हुई। इस तरह के हिंसक कार्यों से केन्द्र और राज्य सरकारों ने कानून व्यवस्था की समस्या के नजर में आया और वर्तमान में यह सबसे ज्यादा आंतरिक सुरक्षा की समस्या के क्रम में पहले पायदान पर है। वस्तुतः आदिवासियों की असन्तोष की जड़ आधुनिक विकास प्रक्रिया का शोषणकारी स्वरूप है। अतः विकास की ऐसी रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिससे जनजातियों की आधुनिक विकास प्रक्रिया का शोषणकारी स्वरूप है। अतः विकास की ऐसी रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिससे जनजातियों की अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सकें। साथ ही बहुसंख्यक जनजातियों को नियमित रोजगार दिया जाना चाहिए, उनके परम्परागत तकनीक, हुनर को आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान से जोड़ने की जरूरत है और स्थानीय स्तर पर कच्ची सामग्री पर आधारित लघु व कुटीर उद्योगों का बड़े पैमाने पर विकास किया जाना चाहिए। आदिवासी महिलाओं को शहद, लाख, मोम, तेंदू पत्ता, जड़ी-बूटी, दोना-पत्तल, कंद, महुआ, बांस, हस्तशिल्प, बागवानी, मछली पालन, रेशमकीट पालन, बुनाई-बढ़ाई जैसे उद्यमों के लिए आधारभूत ढांचे का विकास किया जाना चाहिए।



आदिवासी महिलाओं को आधुनिक तकनीकी ज्ञान का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वे अपने परम्परागत ज्ञान को कुशलता के साथ-साथ आधुनिक बनाया जा सके। साथ ही स्वयं सहायता समूहों पर आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने से संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। आदिवासी क्षेत्रों में परिवहन, हाट, बिजली की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था जरूरी है। जनजातीय उत्पादों की बिक्री का पूरा मूल्य उन्हें मिलना चाहिए। तभी जनजातियों का सर्वांगीण विकास सम्भव है और आदिवासी महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक उन्नयन हो सकेगा।

- ' आदिवासी क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए सम्पर्क मार्ग का निर्माण करना।
- ' विकास कार्यों का नियोजित तरीके से पूर्ण करना।
- ' विकास कार्यों में प्रत्येक वर्ग की भागीदारी को अनिवार्य और सुनिश्चित बनाना।
- ' कृषि विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास और शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
- ' आदिवासी महिलाओं को छोटे-छोटे व्यवसायों से जोड़ने के लिए सकारात्मक पहल करने की जरूरत है जिससे आदिवासी स्त्री उत्थान में सहयोग मिले जैसे-दोना-पत्तल, मधुमक्खी पालन, बांस से निर्मित हस्त कला वस्तु, बकरी, मुर्गी, सुअर पालन।
- ' आदिवासी क्षेत्रों के नजदीक सरकार द्वारा भूमि आवंटित करना जिससे वे धीरे-धीरे समाज की मुख्य धारा में आ सके।
- ' बंजर भूमि पर वृक्षारोपण।
- ' आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।
- ' अवैध वनों की कटाई व शिकार पर रोक लगाना।
- ' छण्ण्ण की सहायता से आदिवासी विकास प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना।





- सरकार द्वारा चलाये जा रहे जनजाति विकास कार्यक्रम एवं नीतियों को लाभ तथा कार्यक्रमों की जानकारी आदिवासी महिलाओं तक उपलब्ध कराना। समय-समय पर इनकी नीतियों में संशोधन करना।
- सरकार को टाल-मटोल की बजाए, दृढ़निश्चय, आत्मविश्वास एवं ईमानदारी के साथ विकास के लिए कार्य करना।
- पूरे जनजातीय समुदाय को भारतवर्ष का एक ईकाई मानकर विकास प्रक्रिया और कार्यक्रमों के मुख्य धारा में लाना।
- स्थानीय जनजातीय सांस्कृतिक प्रतिमानों के अनुरूप मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ की नियुक्ति किया जाना चाहिए।
- जनजातियों से संवाद स्थापित करने के लिए उनकी भाषा की पूर्ण जानकारी होना।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- Gandhi, Mahatma : 1964, रचनात्मक कार्यक्रम, नवजीवन, अहमदाबाद
- Govt. M.P : 1977, आदिवासी और वन
- Haimendorrf, C.V.Furer : 1989, Tribes of India, The Struggle for Survival, Oxford University press, Delhi
- Mahapatro, P.C. : 1987, Economic Development of Tribes India.
- Nehru, Jawahar Lal : Letters to Chief ministers, Voll-II
- Nehru, Jawahar Lal : Speeches, Voll-III
- Patel, M.L. : 1983, Planning Strategy for Tribes Development, Inter India Publications, New Delhi





- Rao, J.Murlikrishana : 1988, Marketing in Tribal Economy, Inter India Publications,
New Delhi
- Sharma, Brahamdeo : 1982, आदिवासी विकास एक सैद्धान्तिक विवेचन, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ
vdkneh] Hkksiky
- Sharma, Brahamdeo : Planning for Educational development in Tribal area, Home
Ministry, Govt.of India.
- Tendulkar, D.G.: Mahatma Voll-2, Publication Division.
- Verier, Alvin : (1964) the tribal world, Bombay.

Report

- 6th Five Year plan, 1980-1985, Govt. of India.
- 7th Five Year plan, 1985-1990, voll-II, Govt. of India.
- 8th Five Year plan, 1992-1997, Govt. of India.
- 9th Five Year plan, 1997-2003, Govt. of India.
- 10th Five Year plan, 2003-2007, Govt. of India.
- 11th Five Year plan, 2007-2012, Govt. of India.
- Report of the Ministry of Tribal Affairs-2005-06
- Report of the Ministry of Tribal Affairs-2007-08
- Report of the National Commission of Tribal

